

05/8/21

पत्रावली वेश हुई। अखिवरता प्राणी एवं
विपक्षी सं. 3 के अखिवरता उपास्नित। अखिवरता
विपक्षी संख्या 1, 2 अनुपास्नित। न्यायालय
समय में रूक-रूक कर कई बार कावाजे
लगावारे घर भी अखिवरता विपक्षीगण एवं
विपक्षी सं. 1, 2 स्वयं उपास्नित नहीं हुई।
अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के
आदेश दिए जाते हैं। बहस प्रकरण उभय पक्ष
सुनी गयी।

2020
00291

हमने पत्रावली का गठना ले अधमरण
का अखिवरता उभय पक्ष की बहस या
किष्ण। ग्राम बोजून्दा प. ह. सहजवा तहसील



--- लगाता

(श्याम सुभा विनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
असतुष्ट अधिकारी
जिला अदालत (सज.)

चित्तौड़गढ़ जिले आरजी (खण्ड) 246
 रकबा 0.0400 हे भूमि प्राचीया के नाम
 खोलेदारी हक से (जे रेकाडे है) प्राचीया
 उक्त आरजी की पत्थरगढी कागज पाहली
 है। उक्त प्राचीया का जमीन पर अन्तर्गत
 आरजी धारा 128 पर Act लीका किना
 जाका गाम बेजुन्दा प. ह. सहगाव व हकीम
 चित्तौड़गढ़ जिले प्राचीया की खोलेदारी के
 आरजी (खण्ड) 246 रकबा 0.0400 हे
 भूमि की किना किली के कब्जे में दरखलाहती
 किए सेटलमेन्ट नक्शे अनुदा पत्थरगढी
 किए जाके के आदेश दिए जाते हैं। पत्थरगढी
 शुल्क 500.00 (पंच असेरे पांच सौ रुपए
 प्राचीया वहन होगी। पालनाक तहसीलदा
 चित्तौड़गढ़ को लिखा जावे कि फसलाशन
 को लिखित सूचना देका निमआनुदा
 पत्थरगढी की जाके एके पालना रिपोरे
 न्यायालय से प्रस्तुत करें। निगीच। लिखामा
 जाका एके इजलाल हुजाभा जमा। फावली
 फेवल शुभा होना नक्कर से कम हो।

(इयाम हुजा विरनाई)
 सहायक कलेक्टर एवं
 अगुआ अधिकारी
 चित्तौड़गढ़ (खण्ड.)